इसे वेबसा **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 247] भोपाल, बुधवार, दिनांक 5 अगस्त 2026—श्रावण 14, शक 1948

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2026

क्रमांक **TRP/0110/2025-Sec-1-08(TRP)** — मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र.एफ 22–142–2004–आठ, दिनांक 20 अप्रैल, 2021 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं समस्त क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को मंजिली गाड़ी के लिए यात्री किराया निर्धारित करने के संबंध में निम्नलिखित निदेश जारी करती है, अर्थात्:–

निदेश

1. नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित सिटी बस को छोड़कर, विनिर्दिष्ट मंजिली गाड़ियों द्वारा प्रभार्य अधिकतम यात्री किराया, उक्त सारणी के कॉलम (3) में, उसके सामने तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट की गयी दरों पर होगा, अर्थात्:–

सारणी

अनुक्रमांक	वाहन का प्रकार	अधिकतम प्रभार्य यात्री किराया
(1)	(2)	(3)
1.	सामान्य मंजिली गाड़ी	रूपए 2.00 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए न्यूनतम किराया रूपये 10.00 के अध्यधीन रहते हुए

2. उपरोक्त निर्देश 1 के अनुसार, संगणित किराये में निम्नानुसार अधिकतम वृद्धि की जा सकेगीः–

(1)	(2)	(3)
1.	रात्रि बस सेवा	सामान्य मंजिली गाड़ी के किराये से 10% अधिक
2.	डीलक्स बस (नॉन ए.सी.)	सामान्य मंजिली गाड़ी के किराये से 25% अधिक
3.	स्लीपर	सामान्य मंजिली गाड़ी के किराये से 40% अधिक
4.	डीलक्स बस (ए.सी.)	सामान्य मंजिली गाड़ी के किराये से 50% अधिक
5.	सुपर लग्जरी कोच (ए.सी.)	सामान्य मंजिली गाड़ी के किराये से 75% अधिक

टीप.–

1. अतिरिक्त रात्रि प्रभार, डीलक्स (नॉन ए.सी.) स्लीपर, डीलक्स (ए.सी.) बस और सुपर लग्जरी कोच के किरायों पर प्रभार्य नहीं होगा।
2. एक्सप्रेस बस सेवाओं के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
3. परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा समय–समय पर, जारी दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, बस सेवाओं का रात्रिकालीन सेवा, डीलक्स, ए.सी. डीलक्स और सुपर लग्जरी कोच सेवाओं के रूप में वर्गीकरण किया जाएगा।

No. **TRP/0110/2025-Sec-1-08(TRP)** - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in supersession of this department's Notification No. F 22-142-2004-VIII, dated 20th April, 2021, the State Government, hereby, issues the following directions to the State Transport Authority and all Regional Transport Authorities regarding the fixation of passenger fares for Stage Carriages, with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette, namely:-

DIRECTIONS

1. The maximum passenger fares chargeable by Stage Carriage specified, excluding city bus mentioned in column (2) of the table given below, shall be at the rates specified in corresponding entries mentioned against them in column (3) of the said table, namely-

TABLE

S. No.	Type of vehicle	Maximum passenger fares chargeable
(1)	(2)	(3)
1.	General State Carriage	Rs. 2.00 per passenger per Km or part thereof, subject to a minimum fare of Rs.10.00

2. As per direction 1 above, fares calculated may be increased to a maximum, as follows:-

(1)	(2)	(3)
1.	Night Bus Service	10% more than fares of general Stage Carriages
2.	Deluxe Bus (Non A.C.)	25% more than fares of general Stage Carriages
3.	Sleeper	40% more than fares of general Stage Carriages
4.	Deluxe Bus (A.C.)	50% more than fares of general Stage Carriages
5.	Super Luxury Coach (A.C.)	75% more than fares of general Stage Carriages

Note.-

1. Extra night charges shall not be chargeable on Deluxe (Non A.C.), Sleeper, Deluxe A.C. bus and Super Luxury coach fares.
2. No extra charge would be permitted for express bus service.
3. The classification of a bus service as Night service, Deluxe, A.C. Deluxe and Super Luxury coach service would be subject to the guidelines issued by the Transport Commissioner, Madhya Pradesh, from time to time.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल नागर, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.